



30



150

# न्यायालय : राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 पुनरीक्षणकर्ता  
III निगरानी भिण्ड मू-रा 2018/0470

- (1) मुकेश भट्टेले पुत्र स्व. श्री आर.सी. भट्टेले उम्र-46 वर्ष, निवासी-4, सत्यदेव नगर, गांधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)
- (2) मनोज भट्टेले पुत्र स्व. श्री आर.सी. भट्टेले उम्र-37 वर्ष, निवासी-4, सत्यदेव नगर, गांधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)
- (3) श्रीमती शकुन्तला भट्टेले पत्नी स्व. श्री आर.सी. भट्टेले उम्र-37 वर्ष, निवासी-4, सत्यदेव नगर, गांधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)

- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

बृजकिशोर भट्टेले पुत्र श्री ग्यादीन भट्टेले आयु 70 साल, जाति ब्रा0 निवासी कोट का कुंआ, वार्ड नं. 06, गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

- प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

दिनांक 16-1-18 को  
श्री माला विमला अर्बल  
द्वारा प्रस्तुत /  
16-1-18  
19-1-18  
माला विमला अर्बल  
15/1/18



## पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. मू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् तहसीलदार वृत्त गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 02/16-2017/अ-70 व उनमान बृजकिशोर भट्टेले विरुद्ध मुकेश आदि में पारित आदेश दिनांक 23.03.2017 से दुखित होकर वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत की जा रही है।

श्रीमान् जी,



प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से वर्तमान पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य :-

- (1) यहकि, निगरानीकर्तागण स्व. श्री रमेश चन्द्र भट्टेले के वारिसान हैं जो

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/470

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भट्टेले उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p> <p style="text-align: center;"></p>	